

## न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- ग्रामीण 35/24

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि.  
तीसरी मंजिल, सुन्दर विला,  
वोडाफोन स्टोर के उपर, रेजिडेसी  
रोड, जोधपुर जरिये प्राधिकृत  
अधिकारी श्री मनीष नारायण कल्ला

- श्रवणराम पुत्र दीपाराम  
मकान न.69, वार्ड नम्बर 03, रेल्वे  
स्टेशन, पीपाड शहर, तहसील  
बिलाडा, जिला जोधपुर ग्रामीण
- गुडिया पत्नि श्रवणराम  
मकान न.69, वार्ड नम्बर 03, रेल्वे  
स्टेशन, पीपाड शहर, तहसील  
बिलाडा, जिला जोधपुर ग्रामीण
- दीपाराम पुत्र रामजी राम  
चौहानों का बेरा, पीपाड शहर  
जिला जोधपुर ग्रामीण



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :- 12.06.2024

1-श्री चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

संशोद्धि आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्रवणराम पुत्र दीपाराम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 5,50,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण दीपाराम पुत्र रामजी राम की जायदाद सम्पत्ति अवस्थित प्लॉट न. 28, रेल्वे स्टेशन के सामने हरनाथ जी का बेरा जिला जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 1520 वर्ग फीट, जिसके उत्तर में प्लॉट न 29, दक्षिण में प्लॉट न. 27 पूर्व में आवागमन हेतु रास्ता एवं पश्चिम में रास्ता व लीला ढगलदास को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को

1

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 07.10.2023 तक 4,69,460/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 5,50,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 07.10.2023 तक 4,69,460/- रुपये वसूल किये जाने हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष दीपाराम पुत्र रामजी राम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद दीपाराम पुत्र रामजी राम की जायदाद सम्पत्ति अवस्थित प्लॉट न. 28, रेल्वे स्टेशन के सामने हरनाथ जी का बेरा जिला जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 1520 वर्ग फीट जिसके उत्तर में प्लॉट न 29, दक्षिण में प्लॉट न. 27 पूर्व में आवागमन हेतु रास्ता एवं पश्चिम में रास्ता व लीला ढगलदास का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) सच.